

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर) 29/3/16

प्रार्थीगण
जैनदोस

बनाम

अप्रार्थीगण
राजरथान सरकार

29/8/16

किसम प्रकरण : राजस्व प्रार्थनापत्र

मुकदमा नं. 39/2016 24/11/16

RCMS:-2016/00347

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
20.04.2016	<p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध के अधीन धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.05.2016 को पेश हो।</p> <p>4</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिकता</p> <p>19/11/16</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिकता में प्रमाण अवकाश पत्र के द्वारा इनिशियल प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22/01/16 को प्रस्तुत करें।</p>	<p>16-1-17</p> <p>17-3-17</p> <p>17/4/17</p> <p>28.6.17</p> <p>01-9-17</p> <p>19-1-18</p> <p>25-4-18</p> <p>9.5.18</p>
22/1/16	<p>वकील प्रार्थी डप। अप्रार्थी सा. की तामील हेतु सम्मन पेश हो पत्रावली दिनांक 20/1/16 को पेश हो।</p>	
29/1/16	<p>वकील प्रार्थी डप। व तामिद आदेश की पालना के दिनांक 29/1/16 को पेश हो।</p>	
29/8/16	<p>वकील वार्ड डप। तामिद आदेश की पालना के दिनांक 29/8/16 को पेश हो।</p>	

पार्श्वना पत्र सं. 39/2016 जेनरलपॉस सरकार

18

पत्रावली न्याय आप के इत शिष्टि में अरत
सेवा केन्द्र गुजरातपाली में फेनडर) पार्श्वना पत्र
के संबंध में तहसीलदार जामल से रिपोर्ट
ली गरी। जहसीलदार जामल ने रिपोर्ट पत्र कर
अवगत कराया दि ख. नं. 247, 699/247, 700/247
की अदि डेपस्थान विभाग (डोली) की हे रस के
राज्य रिपोर्ट में परिवर्तन करना उचित नही है।
डेपस्थान विभाग की अदि के राज्य रिपोर्ट में
परिवर्तन करवाने का आधिकारी पार्श्वना का
नही है रस के कारण यह पार्श्वना पत्र चलने
योग्य नही है। अतः उक्त परिवर्तनों के
अनुसार पार्श्वना का पार्श्वना पत्र अस्वीकार
कर रखा जाया जाता है। पत्रावली केसल मुफ्त
होकर इफ्तार सारिकल हो।


09/05/18